न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

...सीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
6/अपील/21	12.04.2021	10.08.2021

श्रीमती गोप्या पत्नि श्री सून्दरा जाति बावरिया निवासी ग्राम देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैंनवा, जिला बून्दी
2. श्रीमती जरीना पत्नि श्री रियाजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. श्रीमती नूरजहां पत्नि श्री मदारबक्स जाति मुसलमान निवासी ग्राम देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री कैलाश गुप्ता एड0
रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से – राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से – श्री लीलाधर सिंह एड0

निर्णय

यह अपील अपीलांट द्वारा अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। तहसीलदार द्वारा विवादित आदेश दिनांक 15.05.1998 से भूमि खसरा संख्या 94/1 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम देई का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गई हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट अनुसूचित जाति की कृषि मजदूर हैं। अपीलांट के पक्ष में भूमिहीन होने से कृषि भूमि खसरा संख्या 94/1 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम देई आवंटित की गई थी जिससे अपीलांट ने फड़त से फाड़ कर काबिजकाश्त बनाया हैं। इस भूमि पर अपीलांट ने एक घर भी बना रखा हैं जिसमें परिवार सहित रहती चली आ रही हैं। अपीलांट पढ़ी लिखी नहीं हैं तथा नैत्रहीन महिला हैं। अपीलांट का पति सदैव उसके साथ रहता हैं। दिनांक 14.05.1998 को अपीलांट ने तहसील नैंनवा में जाकर कृषि भूमि का इस्तीफा नहीं लिखवाया हैं। अपीलांट की ओर से दिनांक 14.05.1998 को प्रस्तुत करवाया गया इस्तीफा कूटरचित हैं और अपीलांट की इच्छा के बिना, समझाये बिना, धोखे एवं कपटपूर्वक करवाया गया हैं। दिनांक

तहसीलदान साहब नैंनवा के समर्पण के प्रार्थना पत्र पर किसी भी ने शिनाख्त नहीं किया हैं। अपीलांट का फोटो अथवा कोई पहचान पत्र समर्पण पर चस्पा नहीं किया गया। रेस्पो0 द्वारा मिलीभगत करके अपीलांट की भूमि हडपने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से भूमि समर्पण के अवैध एवं कूटरचित कागजात तैयार करवाये हैं। तहसीलदार साहब नैंनवा द्वारा कृषि भूमि की मौके की किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई हैं। अपीलांट अनुसूचित जाति की महिला हैं और उसके द्वारा समर्पित भूमि का पुर्नआवंटन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही किया जा सकता हैं। विवादित भूमि वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अपने खाते दर्ज करवा ली हैं जिन्होनें षडयंत्रपूर्वक राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत करके भूमि का समर्पण करवा लिया हैं और कालांतर में भूमि अपने नाम आवंटन करवा ली हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के अनुसार एक लेख पत्र जो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा प्रमाणिकृत हो के जरिये समर्पित कर सकता हैं। समर्पण पत्र को तहसीलदार द्वारा प्रमाणिकृत नहीं किया गया हैं और न ही समर्पण के संबंध में कोई नोटिस अपीलांट द्वारा दिया गया हैं। अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को पूर्व में ज्ञान नहीं हुआ था, दिनांक 02.03.2021 को रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के साथ आकर अपीलांट का घर गिरा दिया। दिनांक 02.03.2021 को ही प्रथम बार अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ तथा नकल आदेश हेतु आवेदन करने पर दिनांक 10.03.2021 को आदेश की नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान की तिथी से नकल प्राप्त होने का समय मुजरा किये जाने पर यह अपील अंतर्गत अवधि प्रस्तुत हैं। यदि अपील को विलम्ब से पेश किया जाना माना जावें तो अवधि को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अपील के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर दिया गया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.05.1998 निरस्त किया जावें। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 17, आरआडी 1998 पेज 319 (एचसी) की नजीरें तथा धारा 55 एवं 56 आरटी एक्ट 1955 के उद्रण प्रस्तुत किये।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा समर्पण आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की हैं। अतः अपील खारिज की जाने योग्य हैं।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 2 व 3 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.1998 को पारित किया गया हैं जिसकी अपील लगभग 23 वर्ष पश्चात पेश की गई हैं जो अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में सारगर्भित तथ्य विलम्ब के संबंध में अंकित नहीं किये गये हैं। अतः अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावें। अपीलांट स्वयं तहसीलदार नैंनवा के समक्ष पेश हुई हैं एवं दो गवाहान के समक्ष भूमि का समर्पण किया गया हैं। समर्पण के पश्चात भूमि का विधिक रूप से रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पक्ष में आवंटन किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे। वकील रेस्पोडेन्ड ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2009 पेज 150, 465 एवं 661 की नजीरें प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील मे हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता हैं।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

न यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.1998 से ननवा द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 94/1 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम राज्य पक्ष में समर्पण स्वीकार किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के वलोकन से विदित और प्रकट होता हैं कि अपीलांट गोप्या द्वारा दिनांक 14.05.1998 को तहसीलदार नैंनवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भूमि खसरा संख्या 94/1 रकबा 15 बीघा के समर्पण के संबंध में प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थना पत्र के साथ समर्पणकर्ता द्वारा एक शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प का भी पेश किया हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा दिनांक 14.05.1998 को ही समर्पणकर्ता (अपीलांट) गोप्या पत्नि सुन्दरा जाति बावरिया निवासी देई तहसील नैंनवा तथा समर्पण पत्र/शपथ पत्र में अंकित दो स्वतंत्र गवाह क्रमशः सोहन आ0 भूरा जाति बावरिया निवासी देई तहसील नैंनवा एवं नानूलाल आ0 गोपाल जाति बावरिया निवासी देई तहसील नैंनवा के बयान लिये जाकर तस्दीक किये गये हैं। तत्पश्चात दिनांक 15.05.1998 को आदेश प्रदत्त कर राज्य पक्ष में समर्पण स्वीकार किया गया हैं।

हम यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 को उद्रित करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार हैं ''कोई आसामी जो किसी पट्टे या इकरारनामे द्वारा आगामी वर्ष में अपने भूमि–क्षेत्र पर आधिपत्य बनाये रखने के लिये आबद्ध आसामी नहीं हैं, एक मई को या तत्पूर्व, अपने भूमि–क्षेत्र को चाहे वह शिकमी–काश्त पर दिया हुआ अथवा बन्धक ग्रस्त हो या नहीं, कब्जा छोड़ते हुए (एक लेख–पत्र, जो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रमाणीकृत हो–के जरिये समर्पित कर सकता हैं)''। इस धारा में समर्पण के दो तरीके बताये गये हैं–पहला तो भूमि क्षेत्र का कब्जा छोडकर और दूसरा लिखित के द्वारा। ऐसा लिखित प्रमाणीकृत होना चाहिए। वकील अपीलांट द्वारा यह आपत्ति उठाई गई हैं कि समर्पण पत्र तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रमाणीकृत नहीं हैं। उक्त आपत्ति उचित प्रतीत नहीं होती हैं क्योंकि समर्पण पत्र लिखित रूप में अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार नैंनवा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हैं और उनके द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हैं।

समर्पण पत्र दिनांक 14.05.1998 को प्रस्तुत हुआ हैं जो माह मई में प्रस्तुत हुआ हैं। यहां हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि एक मई तारीख निश्चित करने का उद्देश्य यह हैं कि भूमि बेकार नहीं पड़ी रहे और भूमि धारक को लगान का नुकसान न हो क्योंकि समर्पण स्वीकार कर लेने के पश्चात भूमि अनाधिवासित सरकारी भूमि हो जाती हैं किन्तु इस पर निर्धारित कर कायम रहता हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा अपने आदेश में जुवारा काश्त व्यवस्था हेतु नीलामी की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं जो कानून की मंशा के अनुरूप हैं। धारा 56 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार समर्पण भूमि धारक को ही किया जाना चाहिए। प्रकरण में समर्पणकर्ता (अपीलांट) द्वारा भूमि का समर्पण भूमि धारक अर्थात राज्य सरकार को किया गया हैं। अतः समर्पण धारा 55 की रीति अनुसार संपादित किये जाने से धारा 56 के तहत नोटिस दिया जाना समर्पणकर्ता की बाध्यता थी न कि भूमि धारक की। वकील अपीलांट द्वारा यह तथ्य भी व्यक्त किये गये थे कि अपीलांट नैत्रहीन महिला हैं लेकिन कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रकरण में यह तथ्य भी उठाये गये हैं कि विवादित आदेश दिनांक 15.05.1998 से समर्पित भूमि का आवंटन रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को कर दिया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में समर्पण आदेश को चुनौती दी गई हैं। आवंटन आदेश के संबंध में अन्य कार्यवाहियां चलना वकील अपीलांट द्वारा अपने अपील मैमो में अंकित किया हैं जिसके संबंध में इस प्रकरण में आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

...गा। उक्त विवेचानुसार तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित समर्पण आदेश दिनांक ...98 में कोई विधिक दोष एवं त्रुटि नहीं पायी गई हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.05.1998 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)